**Form no. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर**

मु. केसर पत्नी तारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 75 जीबी तहसील अनूपगढ़ आदि

बनाम

राजस्थान सरकार व अन्य

किस्म मुकदमाः—प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी    प्रकरण सं.—121/2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.06.2022 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर अनुपस्थित। अप्रार्थीगण निक्की कौर पत्नी कृपाल सिंह, जगरूप सिंह, जसवीर सिंह, जसप्रीत सिंह पिसरान कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 75 जीबी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश डाल हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत दिनांक 10.010.2017 को पेश किया गया था। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील दिनांक 24.08.2017 को खारिज की जाकर निस्तारित की जा चुकी है। हस्तगत प्रकरण में वकील प्रार्थी को बार—बार आवाजे लगाई गई। परन्तु वकील प्रार्थी हाजिर नहीं हुए। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी, अदम हाजरी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>आदेश सुनाया गया।<br><br>(अरविन्द कुमार जाखड़)<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>सूरतगढ़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:38:22 IST
Reason: SelfAttested